

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2011—कार्तिक 7, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-35-110-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई आवश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

2. मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10, सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दर्शाये अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने की तारीख 29 अक्टूबर 2011 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

“ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल एवं उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों के अन्तर्गत विद्युत् के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएं”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधुकर अग्नेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

पृ. क्र. एफ-35-110-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र.एफ-35-110-2005-दो-सी-1, दिनांक 29 अक्टूबर, 2011 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधुकर अग्नेय, उपसचिव.

Bhopal, the 29th October, 2011

F. No. 35-110-2005-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 29th October, 2011 for a period of three months.

SCHEDULE

“Services of Scientific, technical, operative and ministerial, personnal with electricity generation, transmission and distribution of electricity by or under the Madhya Pradesh State electricity Board and its successor companies.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MADHUKAR AGNEY Dy. Secy.